कुटुम्ब न्यायालय जशपुर में परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय जशपुर
जिला– जशपुर (छ.ग.)

विषयः– कुटुम्ब न्यायालय जशपुर में परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में ।

संदर्भः– माननीय उच्च न्यायालय (छ०ग०) बिलासपुर, का ज्ञापन क्रमांक 8083/दो–15–3/2007 दिनांक 17.11.2007

---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के संबंध में मेरे द्वारा कुटुम्ब न्यायालय जशपुर में परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु निम्नानुसार मेरा बायोडाटा प्रस्तुत है ।

(बायोडाटा)

1. **नाम** :– ....
2. **पिता/पति का नाम** :– ....
3. **स्थायी पता** :– ....
4. **जन्मतिथी (अंको में)** :– ....
5. **जन्म स्थान** :– ....
6. **शैक्षणिक योग्यता** :– ....
7. **अनुभव** :– ....
8. **विवाहित/अविवाहित** :– ....
9. **आयकर** :– ....

दिनांक....................

स्थान.....................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

1. **परामर्शदाता की नियुक्ति की शर्तेः–**

परामर्शदाता कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा तैयार किये गये तथा उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित परामर्शदाताओं के पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेगें ।

परन्तु किसी भी परामर्शदाता को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करे लेने के पश्चात निरंतर नही रखा जाएगा ।

2. **परामर्शदाता की संख्या :–**

(1) प्रत्येक परार्श केन्द्र में परामर्शदताओं की संख्या और प्रवर्ग ऐसे होंगे, जो सरकार द्वारा समय–समय पर उच्च न्यायालय के परामर्श से अवधारित किये जाए।

(2) जहां किसी परामर्श केन्द्र में एक से अधिक परामर्शदाता नियुक्त किये गये है, वहां उनमें से एक को उच्च न्यायालय द्वारा प्रधान परामर्शदाता के रूप में पदाविहित किया जा सकेगा ।

3. **परामर्शदाता के लिये अर्हताः–**

(1) कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक विषय के रूप में समाज विज्ञान या मनोविज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि (डिग्री) हो और विशेषतः समाज कार्य, बालमनोविज्ञान या कुटुम्ब संबंधि परामर्श से न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो, परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगाः–

परन्तु शैक्षणिक अर्हताए/ न्यूनतम अनुभव में, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार आपवादित परिस्थितियों में छूट दी जा सकेगीः–

परन्तु यह और कि अपेक्षित अर्हता रखने वाली महिलाओं को प्राथमिक्ता दी जा सकेगीः

परन्तु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, जब उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और वह 60 वर्ष की आयु से कम का हो ।

4. **परामर्शदाता को मानदेय/शुल्क का भुगतानः–**

(1) परामर्शदाता के रूप में नियोजित व्यक्तियों को अनुज्ञेय मानदेय या शुल्क ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए ।

(2) परामर्शदाता, सुलह के लिए प्रति मामला प्रति बैठक रू.500/–(पांच सौ रूपये) की न्यूनतम दर से मानदेय या फीस का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे, प्रत्येक मामले के लिए निर्बंधित चार से अधिक संख्या में बैठक नहीं होना चाहिए । किसी भी मामले में परामर्शदाता का कुल मानदेय या फीस रू.1500/– (एक हजार पांच सौ रूपये) प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी ।

5. परामर्शदाता हेतु आवेदन पत्र 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें ।

न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
जशपुर (छ०ग०)